निर्णय राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार केम्प पछाड
द्वारा श्री हीरालाल वर्मा आर.ए.एस.उपखण्ड अधिकारी छीपाबड़ौद जिला बारां

करण संख्या :– 111/2017 दावा
दायरा दिनांक :– 19.05.2017
निर्णय दिनांक :– 23.05.2017

उनवान

मोहनलाल पुत्र नारायण जाति काछी निवासी उतावली तहसील छीपाबडौद जिला बारां

बनाम

राज्य सरकार जर्ये तहसीलदार छीपाबडौद जिला बारां

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 89 आर.टी.एक्ट
निर्णय दिनांक :– 23.05.2017

अभिभाषक उपस्थित :– 1. श्री ललित कुमार शर्मा

अभिभाषक वादी द्वारा वाद पत्र अन्तर्गत धारा 89 आर.टी.एक्ट विरूद्व प्रतिवादी के न्यायालय में इस आशय का पेश किया गया कि आराजी ख0नं0 187 रकबा 5.14 बीघा, ख0नं0 307 रकबा 7.06 बीघा, ख0नं0 574/135 रकबा 0.08 बीघा, ख0नं0 575/136 रकबा 1.01 बीघा, ख0नं0 576/138 रकबा 0.06 बीघा, ख0नं0 577/211 रकबा 7.01 बीघा, ख0नं0 578/261 रकबा 1.11 बीघा, ख0नं0 579/264 रकबा 0.08 बीघा, कुल किता 8 रकबा 23.15 बीघा मौजा उतावली में स्थित हैं जो वादी के खातेदारी एवं कब्जे काश्त में दर्ज हैं। उक्त वर्णित आराजीयात की सीमा व मेड के संबन्ध में पडौसी काश्तकारों से हमेशा विवाद बना रहता है तथा पडौसी काश्तकार वादी के खाते व कब्जे की भूमि की मेडे तोडने के लिए प्रयासरत रहते है इसलिए वादी उक्त विवाद को हमेशा के लिए खत्म करवाना चाहता है। दिनांक 11.05.2017 को उक्त वर्णित आराजियात के आसपास के व्यक्तियों द्वारा जबरन कब्जा करने का प्रयास किया तो वादी ने मना किया तो उन्होने आयन्दा उक्त भूमि पर जबरन कब्जा करने की धमकी दी। वाद कारण प्रथम बार दिनांक 11.05.2017 को उक्त वर्णित आराजियात पर पडौसी काश्तकारों द्वारा जबरन कब्जा करने का प्रयास करने पर तथा उसी दिन वादी द्वारा प्रतिवादी कम 1 से विवादित आराजियात का सीमा ज्ञान करने से मना करने पर उत्पन्न हुआ। वादी द्वारा वाद स्वीकार करने का निवेदन किया है।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को जर्ये सम्मन तलव किया गया। पक्षकारा को राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार केम्प में उपस्थित होने के लिए नोटिस जारी किये गये वादी राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार केम्प पछाड पर उपस्थित हुआ। वादी का कथन है कि विवादित आराजी वादी के खातेदारी की हैं। पडौसी खातेदारान जबरन मेड तोडकर कब्जा करने का प्रयास करते है। इसलिए आपने खाते एवं कब्जे काश्त की आराजी का सीमाज्ञान करवा पत्थरगढी करवाना चाहता हैं। जिससे पडौसी काश्तकारों से किसी प्रकार का कोई विवाद उत्पन्न नहीं हो सके।

उपखण्ड अधिकारी
छीपाबडौद जिला बारां

19/5/17

Scanned by CamScanner

प्रतिवादी पैरोकार सरकार का कथन है कि वादी आपने खाते की आराजी का सीमाज्ञान कराकर पत्थरगढी करवाना चाहता है तो प्रतिवादी को कोई आपत्ति नहीं है।

वादी एवं प्रतिवादी को सुना गया पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत नकल जमाबन्दी ग्राम उतावली सम्वत 2072–75 खाता संख्या 137 के कुल ख0नं0 8 किता रकवा 23.15 बीघा मोहनलाल पुत्र नारायण कौम काछी के खातेदारी एवं कब्जे काश्त में दर्ज हैं। वादी अपने खाते एवे कब्जे काश्त की आराजी का सीमाज्ञान करा कर पत्थरगढी करवाना चाहता है जिससे पडौसी काश्तकार व खातेदारों से किसी प्रकार का विवाद नहीं हो। वादी का वाद स्वीकार कर विवादित आराजी का सीमाज्ञान कर पत्थरगढी कराया जाना न्यायोचित है।

:: क्रियात्मक आदेश ::

उपरोक्त विवेचनानुसार वादी का वाद राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार केम्प पछाड पर स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी वाके ग्राम उतावली के ख0नं0 187 रकबा 5.14 बीघा, ख0नं0 307 रकबा 7.06 बीघा, ख0नं0 574/135 रकबा 0.08 बीघा, ख0नं0 575/136 रकबा 1.01 बीघा, ख0नं0 576/138 रकबा 0.06 बीघा, ख0नं0 577/211 रकबा 7.01 बीघा, ख0नं0 578/261 रकबा 1.11 बीघा, ख0नं0 579/264 रकबा 0.08 बीघा, कुल किता 8 रकबा 23.15 बीघा का सीमाज्ञान कर पत्थरगढी कराने के आदेश तहसीलदार छीपाबडौद दिये जाते है। तद्नुरूप डिकी पर्चा जारी हो।

निर्णय लिखाया जाकर सुनाया गया।

(हीरालाल वर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
छीपाबड़ौद जिला बारां

उपखण्ड अधिकारी
छीपाबड़ौद जिला बारां

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, छीपाबड़ौद जिला बारां (राज0)

डिक्री

संख्या 111/2017	धारा अन्तर्गत 89, **RTA**	निर्णय दिनांक 23.05.2017
समक्ष : **श्री हीरालाल वर्मा आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी, छीपाबड़ौद जिला बारां**		
उपस्थिति : अभिभाषक वादी — श्री ललित कुमार शर्मा	अभिभाषक प्रतिवादी —	

वाद शीर्षक

उनवान

मोहनलाल पुत्र नारायण जाति काछी निवासी उतावली तहसील छीपाबडौद जिला बारां

बनाम

राज्य सरकार जर्ये तहसीलदार छीपाबड़ौद जिला बारां

निर्णयार्थ प्रस्तुत वाद मे यह आदेशित किया जाता है और तदनुरूप डिक्री निर्गत की जाती है कि

वादी का वाद राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार केम्प पछाड पर स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी वाके ग्राम उतावली के ख0नं0 187 रकबा 5.14 बीघा, ख0नं0 307 रकबा 7.06 बीघा, ख0नं0 574/135 रकबा 0.08 बीघा, ख0नं0 575/136 रकबा 1.01 बीघा, ख0नं0 576/138 रकबा 0.06 बीघा, ख0नं0 577/211 रकबा 7.01 बीघा, ख0नं0 578/261 रकबा 1.11 बीघा, ख0नं0 579/264 रकबा 0.08 बीघा, कुल किता 8 रकबा 23.15 बीघा का सीमाज्ञान कर पत्थरगढी कराने के आदेश तहसीलदार छीपाबडौद दिये जाते है।

साथ ही नियमानुसार .... रू0 का व्ययानुतोष .... द्वारा .... को प्रदान किया जाए।
उक्त आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा के साथ आज दिनांक .... को निर्गत किया गया।

हस्ताक्षर
उपखण्ड अधिकारी,
छीपाबड़ौद

व्ययानुतोष

क्र.सं.	व्यय मद	वादी	प्रतिवादी
1.	वद पत्र/लिखित कथन		
2.	अभिभाषक पत्र (स्टाम्प+लिखित सामग्री व्यय)		
3.	साक्ष्य पत्रक (स्टाम्प+लिखित सामग्री व्यय)		
4.	प्रार्थना पत्र (स्टाम्प+लिखित सामग्री व्यय)		
5.	पारिश्रमिक अभिभाषक		
6.	व्यय साक्षी		
7.	फीस कमिश्नर		
8.	अन्य/क्षतिपूर्ति		
9.	ब्याज (%)		
10.	योग		

Scanned by CamScanner